



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल  
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011  
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498  
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर  
भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012

### परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	24 जनवरी, 2012
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	23 फरवरी, 2012
परीक्षा दिनांक व दिन	15 अप्रैल, 2012 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500/- अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए – 250/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- पृथक से देय होगा।	

### समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तर भरने का समय
15 अप्रैल, 2012 रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने के पूर्व प्रश्न/उत्तर पुस्तिका का परीक्षण कर लें। यदि मुद्रण अस्पष्ट हो या कोई पृष्ठ अनुपलब्ध हो तो वीक्षक (Invigilator) को बताकर पुस्तिका बदल लें। प्रश्न हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका नहीं बदली जाएगी।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
4. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर  
भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय-1 – कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012 के लिए विभागीय नियम	03-09
2.	परिशिष्ट-1 – वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार, श्रेणीवार व संवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका	10-11
3.	अध्याय-2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	12-16
4.	प्रारूप-1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	17

## अध्याय – 1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक चयन परीक्षा-2012

### चयन संबंधी अनुदेश

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/प्रशा. 11/क्षे.स्था.-2/5660, भोपाल, दिनांक 13.10.2009, पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.-2/4218, दिनांक 10.08.2010, पत्र क्रमांक/क्षे./स्था.11/दैवेभो/3705, दिनांक 26.06.2011 तथा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ-3-52/2008/10-1, दिनांक 15.09.2009 अनुसार वन विभाग के अंतर्गत रिक्त वनरक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2012 हेतु आवेदन कर सभी आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे :-

#### 1.1 सामान्य :-

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि वन विभाग के अन्तर्गत रिक्त वनरक्षकों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2012 के लिये आवेदन कर रहे हैं।

#### 1.2 परिभाषाएँ :-

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य तीन श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

#### 1.3 पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक कुल पद- 1384	5200-20200+1800 ग्रेड पे प्रशिक्षण उपरांत : 5200-20200+1900 ग्रेड पे	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

#### 1.3.1 आरक्षण तालिका :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक	योग
		ओपन	महिला	ओपन	
1.	अनारक्षित	471	59	59	589
2.	अनुसूचित जाति	212	26	26	264
3.	अनुसूचित जनजाति	425	53	53	531
महायोग :-		1108	138	138	1384

टीप-(1) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों पदों की जानकारी परिशिष्ट-1 में देखें। जिलेवार दर्शित वनरक्षक के पदों की संख्या, जिसमें भर्ती प्रस्तावित है, अधिकतम है। भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती किया जा सकेगा।

(2) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं है।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त नहीं होने के कारण आरक्षण तालिका व जिलेवार सूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

### 1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :-

1. आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. भूतपूर्वक सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

### 1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-

- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
    - (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
    - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
    - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं।
  2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
  3. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो तथा जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा, जिसे प्रमाण-पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

### 1.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

दिनांक 1 जनवरी 2013 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम होना चाहिये। उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार निम्नानुसार छूट मान्य की जावेगी :-

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1.	पुरुष	सामान्य/अनारक्षित	निरंक
2.	पुरुष	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3.	महिला	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
4.	महिला	1. सामान्य वर्ग – विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।
		2. आरक्षित-अजा/अजजा विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा।	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

1.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ब) आदिम जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (स) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (क) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ख) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हो अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दी जायेगी :-
  - (1) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
  - (2) उपरोक्त रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
  - (3) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

- (4) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : शब्द "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक निरंतरनियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त किया गया हो।

- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों और
    - (क) अल्पकालिक वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर
    - (ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
  - (3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ।
  - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक अथवा असैनिक अथवा अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये हो।
  - (5) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।
  - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
  - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ।
  - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने,घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।
  - (9) विधवा, निराश्रित/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
  - (10) ऐसे अभ्यर्थियों की जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
  - (11) स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होम गार्ड) के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु 8 वर्ष तक की सीमा के अधधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी । किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
- टिप्पणी—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड(ख) के उपखण्ड (1) एवं (2) में वर्णित आयु संबंधी आयु रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, यदि वे आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग—पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्रा नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे ।
- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएँ शिथिल नहीं की जायेंगी । विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिये उपस्थित होने हेतु नियुक्ति अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।
  - (3) शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयं सेवियों या कर्मियों तथा "शिक्षा कर्मी" "पंचायत कर्मी" आदि को आयु में छूट सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
  - (4) जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण—पत्र, परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  - (5) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.6 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएँ/जानकारी :

1. पररूपधारण ।
2. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
3. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।
4. जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
5. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

1.7 चयन प्रक्रिया के चरण/आधार :

- (1) वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए 9 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर तीन गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार, शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
- (3) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो साक्षात्कार हेतु उपयुक्त होंगे का नाम व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
- (4) वनरक्षक का पद जिला केडर का है अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जायेगी।
- (5) आवेदक को अपने आवेदन-पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।

1.7.1 पाठ्यक्रम :

लिखित परीक्षा में गणित (माध्यमिक स्तर का) के 40 प्रश्न व सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, इस प्रकार कुल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में 2:00 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस प्रकार कुल 70 अंक होंगे।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण :

- (1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाण	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरुष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी-(क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यर्थी की 145 से.मी. होना चाहिये।

- (ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

- (2) पैदल चाल :- पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

टिप्पणी - नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

1.7.3 परीक्षा शहर :

लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के भिण्ड एवं दतिया जिलों को छोड़कर समस्त जिला मुख्यालयों पर किया जायेगा।

#### 1.7.4 मेरिट सूची :

मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार मंडल द्वारा जिलेवार, श्रेणीवार/प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा साक्षात्कार, शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल का परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों की सूची तथा शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थियों की सूची मंडल को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके उपरांत विभाग के निर्देशानुसार मंडल द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों को जोड़कर अंतिम प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

#### 1.7.5 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जायेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

#### 1.7.6 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के समय समस्त दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाना है।

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियाँ एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, जिसका परीक्षण किया जायेगा :-

- (i) आयु के प्रमाण हेतु (बोर्ड द्वारा जारी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
- (ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से जारी हाईस्कूल/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र)
- (iii) अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)
- (iv) जीवित बच्चों के जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र/शाला की अंकसूची/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड)
- (v) भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (vi) ग्रीनकार्ड धारी होने पर मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (vii) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (viii) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (ix) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल का कर्मचारी होने पर संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (x) स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (xi) स्थायी मूल निवासी प्रमाण-पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)

- (xii) विधवा होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।  
(xiii) परित्यक्ता होने के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

1.7.7 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण/साक्षात्कार में आमंत्रित/शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता/जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की विधिवत् जाँच/परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी।

1.8 यात्रा व्यय का भुगतान :

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दि.19.09.2002 की कंडिका 8(iv) अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदनुसार अभ्यर्थियों को वन विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

1.9 नियुक्ति की शर्तें :

सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण महाविद्यालय से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही वेतन वृद्धियां स्वीकृत होंगी।

1.10 न्याय क्षेत्राधिकार :

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक होगा।

—0—

परिशिष्ट-1

वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार श्रेणीवार व संवर्गवार क्षेत्रीय आरक्षण तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग
		निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	
		ओपन	महिला	—	ओपन	महिला	—	ओपन	महिला	—	
1	बालाघाट	53	7	7	0	0	0	13	2	2	84
2	बैतूल	37	5	5	10	1	1	35	4	4	102
3	भोपाल	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	रायसेन	13	2	2	7	1	1	9	1	1	37
5	विदिशा	8	1	1	3	1	1	3	0	0	18
6	राजगढ़	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
7	सीहोर	9	1	1	1	0	0	1	0	0	13
8	पन्ना	11	1	1	14	2	2	12	2	2	47
9	छतरपुर	3	0	0	7	1	1	6	1	1	20
10	टीकमगढ़	5	1	1	3	1	1	0	0	0	12
11	छिंदवाड़ा	38	5	5	3	1	1	17	2	2	74
12	ग्वालियर	6	1	1	0	0	0	0	0	0	8
13	मुरैना	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	श्यामपुर	0	0	0	6	1	1	21	3	3	35
15	होशंगाबाद	12	2	2	0	0	0	6	1	1	24
16	हरदा	18	2	2	5	0	0	3	0	0	30
17	इंदौर	18	2	2	5	0	0	0	0	0	27
18	झाबुआ	0	0	0	3	0	0	31	4	4	42
19	धार	4	1	1	0	0	0	3	1	1	11
20	अलीराजपुर	0	0	0	3	0	0	27	3	3	36
21	जबलपुर	5	0	0	4	0	0	0	0	0	9
22	कटनी	2	0	0	2	0	0	4	0	0	8
23	डिण्डौरी	5	1	1	0	0	0	6	1	1	15
24	मण्डला	4	0	0	0	0	0	50	6	6	66
25	खण्डवा	38	5	5	9	1	1	17	2	2	80
26	बुरहानपुर	19	2	2	3	0	0	8	1	1	36
27	खरगोन	7	1	1	2	0	0	16	2	2	31
28	बडवानी	5	1	1	2	0	0	3	1	1	14
29	रीवा	0	0	0	12	1	1	0	0	0	14
30	सतना	0	0	0	9	1	1	2	0	0	13
31	सीधी	2	0	0	5	1	1	10	2	2	23
32	सिंगरौली	1	0	0	3	1	1	2	0	0	8
33	सागर	26	3	3	11	1	1	7	1	1	54
34	दमोह	5	0	0	13	2	2	9	1	1	33
35	सिवनी	36	5	5	5	1	1	17	2	2	74
36	नरसिंहपुर	4	1	1	7	1	1	5	1	1	22
37	अनूपपुर	4	1	1	2	0	0	8	1	1	18
38	शहडोल	4	0	0	9	1	1	33	4	4	56
39	उमरिया	3	1	1	7	1	1	19	2	2	37
40	गुना	7	1	1	10	1	1	3	0	0	24

स. क्र.	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग
		निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	
		ओपन	महिला	—	ओपन	महिला	—	ओपन	महिला	—	
41	शिवपुरी	1	0	0	8	1	1	3	1	1	16
42	अशोकनगर	7	1	1	3	1	1	4	0	0	18
43	उज्जैन	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
44	शाजापुर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
45	रतलाम	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4
46	मंदसौर	6	1	1	1	0	0	1	0	0	10
47	नीमच	11	1	1	3	0	0	2	0	0	18
48	देवास	18	2	2	11	2	2	6	1	1	45
	योग	471	59	59	212	26	26	425	53	53	1384

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)  
म0प्र0 भोपाल

## अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल  
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक को यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा। आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प व जानकारी अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन साक्षात्कार के पूर्व वन विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु साक्षात्कार के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।
- 2.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी का नाम
3.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
4.	श्रेणी – अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
5.	वर्ग
6.	लिंग
7.	मूल निवासी
8.	जन्मतिथि
9.	जिला का नाम, जिसके रिक्त पद/परीक्षा शहर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
10.	जीवित बच्चों की संख्या
11.	अंतिम बच्चे की जन्मतिथि
12.	शैक्षणिक योग्यता
13.	विवाह की तिथि
14.	विधवा/परित्यक्ता से संबंधित जानकारी
15.	ग्रीनकार्ड धारी
16.	शासकीय/निगम/मण्डल/वार्ड/नगर सेवा/नगर सैनिक/स्वयं सेवी संगठन सेवा में कार्यरत है या नहीं
17.	“विक्रम पुरस्कार” धारी है या नहीं
18.	भूतपूर्व सैनिक है या नहीं
19.	अंतर्जातीय विवाह
20.	अन्य

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जायेगा। शेष उपरोक्त स.क्रं. 02 से 19 तक की जानकारी के रिक्त होने की स्थिति में आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाईन

रेक्टिफिकेशन (त्रुटि सुधार) की सुविधा प्राप्त होगी। उपरोक्त रेक्टिफिकेशन व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदन-पत्र में अन्य त्रुटि सुधार संबंधी यथोचित समयसीमा में मण्डल में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर परीक्षा उपरांत यथासंभव कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु परिणाम घोषित होने के उपरांत इस प्रकार के त्रुटि सुधार संबंधी किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि परिणाम घोषित होने के पश्चात् मण्डल functus officio बन जाता है।

2.5 निरस्त होने के कारणों की सूचना:-

- (1) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 100/- एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 50/- वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) या [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।
- (2) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश-पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त /परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा शहर, परीक्षा समय व परीक्षा शुल्क :-

लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रातः 10:00 से 12:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग के लिए 500/-रु. तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 250/-रु. परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

2.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protractors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.10 परीक्षा के प्रश्न-पत्र :-

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 70 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से भरना (काला करना) होगा।

## 2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

## 2.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
  2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
  3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
  4. कोई भी विकल्प सही न हो।
  5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
  6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
  7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप -1 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 2.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नोटिस बोर्ड तथा मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.16 अंक सूची :

अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.17 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य लिखित परीक्षा का संचालन, जिलेवार लिखित परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं जिलेवार प्रवर्गवार अंतिम चयन सूची परिणाम घोषित करना मात्र होगा।

लिखित परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.18 साक्षात्कार, शारीरिक माप एवं पैदल चाल से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अधिकार वन विभाग का होगा। मध्यप्रदेश शासन परीक्षा संचालन से संबंधित समस्त नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सुरक्षित रखता है एवं शासन द्वारा किया गया कोई संशोधन बंधनकारी होगा।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

प्रारूप-1  
(देखें नियम 2.14)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं वनरक्षक चयन परीक्षा-2012 में अनुक्रमांक ..... से परीक्षा केन्द्र..... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न-पुस्तिका कोड ..... के सेट क्रमांक..... हल किया गया है । इस प्रश्न-पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....  
आवेदक का नाम.....  
परीक्षा का नाम.....  
अनुक्रमांक.....  
परीक्षा केन्द्र का नाम.....

स्थान .....  
दिनांक .....

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)